विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	शहरी विकास विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	2299
उतर की तिथि	:	13.08.2022
विषय	:	स्वीकृत धनराशि।
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री रमेश चंद ध्वाला(ज्वालामुखी)
सम्बन्धित मंत्री	:	शहरी विकास मंत्री।

प्रश्न	उतर
(क) ज्वालामुखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद ज्वालामुखी में खारा नाला के तटीयकरण (चैनेलाईजेशन) हेतु कब और कितनी धनराशि स्वीकृत हुई; ब्यौरा दें;	**(क), (ख) व (ग)** सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) यह सत्य है कि स्वीकृत धनराशि अभी तक व्यय नहीं की गई है, यदि हां, तो कारण सहित ब्यौरा दें; और	
(ग) क्या नगर परिषद ज्वालामुखी ने यह धनराशि विभाग को वापिस कर दी है; यदि हां, तो कब; यदि नहीं, तो कारणों सहित ब्यौरा दें?	

अतारांकित प्रश्न संख्या 2299, जो श्री रमेश चंद ध्वाला(ज्वालामुखी) द्वारा ''स्वीकृत धनराशि'' बारे पूछा गया है, का उत्तरः–

(क) ज्वालामुखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद ज्वालामुखी में मन्दिर नाला के तटीयकरण (चैनालाईजेशन) हेतु मु0 299.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई, स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक संख्या	वितीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	पत्र संख्या और दिनांक	शीर्ष
1	2011-12	100-00	UD-H(C) (2)-1/2008-III-28341-57 Dated 28-12-2011	13th CFC Special Grant -in -Aid
2	2012-13	115-00	UD-H(C) (2)-1/2008 Special G.I.A. -16434-48 Dated 10-09-2012	
3	2013-14	84-00	UD-H(C) (2)-1/2008 Special G.I.A.-13023-13038 Dated 31-01-2014	
	कुल जोड़	**299.00**		

(ख) उक्त कार्य को शुरु करने हेतु नगर परिषद द्वारा Detailed Project Report (DPR) तैयार करके तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, लेकिन नगर परिषद ज्वालामुखी के सदन में विभिन्न पहलुओं पर सहमति न बन पाने के कारण उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय नही हो पाई है।

(ग) स्वीकृत धनराशि विभाग को वापिस नही की गई है क्योंकि यह धनराशि 13वें केंद्रीय वित्तायोग की स्पेशल ग्रांट इन ऐड का हिस्सा है। नगर परिषद द्वारा विस्तार परियोजना रिपोर्ट (DPR) तकनीकी रूप से अनुभागों सहित तैयार करवाई गई है, और अब ये मामला नगर परिषद ज्वालामुखी के सदन में लंबित है।